राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 299

प्रगति

समाचार पत्र
अप्रैल 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

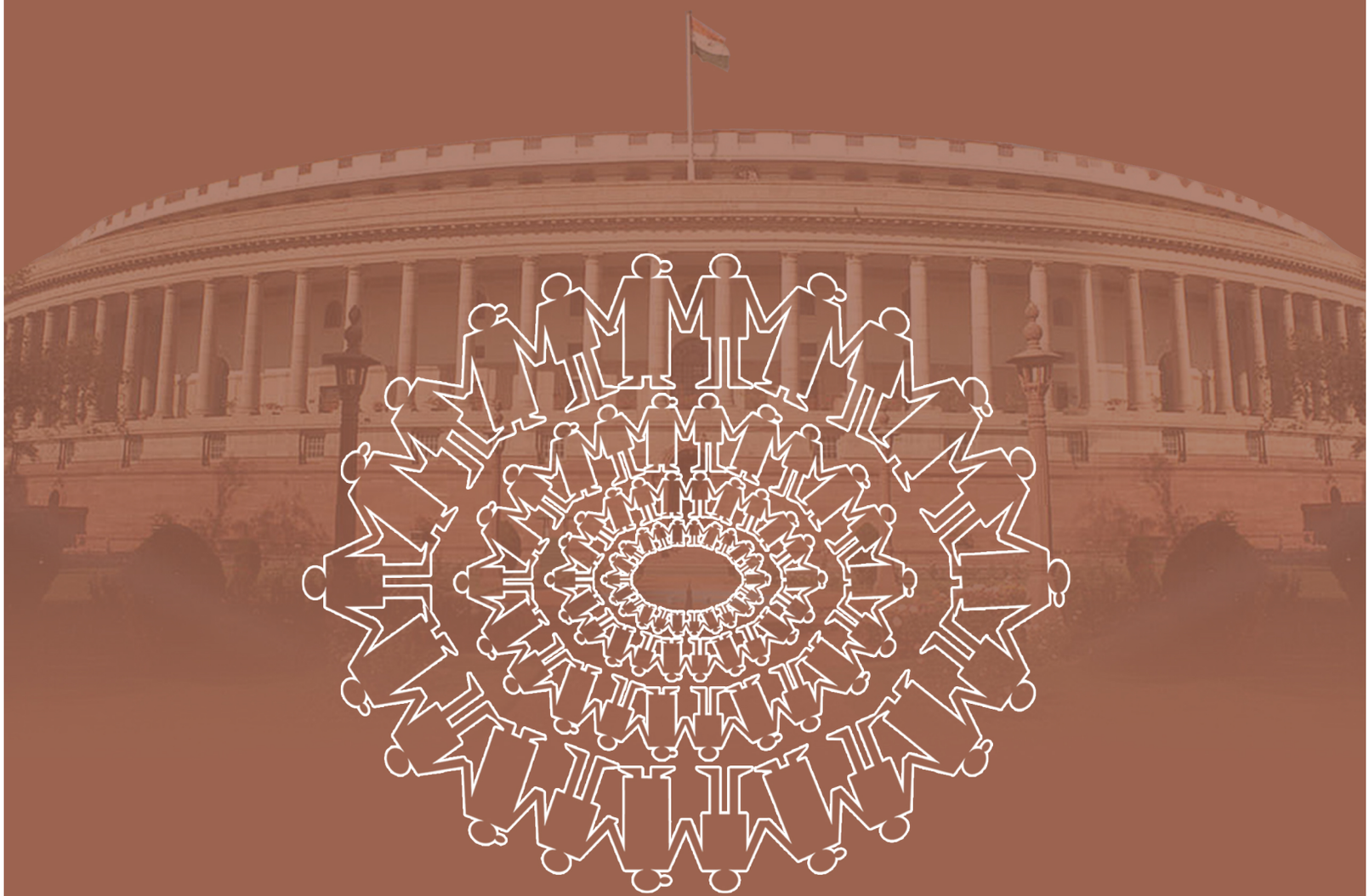

सुशासन

(संकल्पना, दृष्टिकोण, कारक, परिणाम और निष्कर्ष)

3 संकल्पना, दृष्टिकोण, कारक, परिणाम और निष्कर्ष

विषय-सूची

10
प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भारत में कोविद-19 की रोकथाम में सामुदायिक कार्य

12
कोविद -19: आरसेटी और एनआईआरडीपीआर ने अवसर में वृद्धि की

14
एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों ने कोविद -19 राहत के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड और तेलंगाना राज्य

14
एनआईआरडीपीआर ने जनसाधारण स्तर तक पहुंचने के लिए एंड्रायड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन 'एनआईआरडीपीआर कनेक्ट' लॉन्च किया

15
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: पीएम ने योजनाओं का शुभारंभ किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के साथ बातचीत की

16
एनआईआरडीपीआर ने मनाई अंबेडकर जयंती

सुशासन : संकल्पना, दृष्टिकोण, कारक, परिणाम और निष्कर्ष

"जबकि पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करती है, सुशासन खुलापन हासिल करने में पारदर्शिता से हटकर है। खुलेपन का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करना। पारदर्शिता सूचना का अधिकार है जबकि खुलापन सहभागिता का अधिकार है और लोगों की सहभागिता सुशासन की सार्थकता है।"

श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री

वर्तमान समय में, "शासन" और "सुशासन" शब्दों का बड़े पैमाने पर विकास क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। अनैतिक शासन को क्रमश: हमारी व्यवस्था के भीतर सभी बुराई की बुनियादी जड़ों में से एक माना जा रहा है। शासन का अर्थ निर्णय सृजन की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है (या कार्यान्वित नहीं किया जाता हैं)। इसके बाद, शासन निर्णय सृजन की पद्धति है और प्रक्रिया जिसके द्वारा परिणाम निष्पादित किए जाते हैं। शासन के नीति निर्धारण में और बनाए गए संकल्पों में शामिल औपचारिक और अनौपचारिक खिलाड़ियों पर जोर दिया गया और, औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था जो निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु निर्धारित की गई हैं।

अन्य बातों के अलावा सुशासन सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेही होता है।

सरकार

सरकार देश पर शासन करने का एक साधन है। लोगों पर शासन करने के लिए सरकार को विधिसम्मत शक्ति दी गई है। यह निर्णय लेती है और निर्णयों को कार्यान्वित करती है। यह प्रशासनिक तंत्र की सहायता से कार्य करती है। सरकार मुख्य रूप से प्राधिकरण संस्था है और यह अपने क्षेत्र में लोगों, संस्थाओं और समाज पर अपने अधिकार को लागू करती है। सरकार में, फैसले लेने में लोगों की बहुत सीमित भूमिका होती है। सरकार का लोगों पर नियंत्रण है; दूसरी ओर, लोगों का सरकार पर अधिक नियंत्रण नहीं है।

शासन: अर्थ और परिभाषा

शासन निर्णय लेने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। सरकारें शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन यह केवल शासन में शामिल संस्थान नहीं है। शासन की विविध अर्थ और विभिन्न परिभाषाएँ हैं। शासन की परिभाषाएँ जटिल से जटिल और सूक्ष्म हैं।

खेत की जुताई करते हुए किसान (फाइल फोटो)। यदि सुशासन हो तो देश विकास, न्याय, शांति और समृद्धि हासिल कर सकते हैं

यूएन-ईएससीएपी ने शासन की परिभाषा देते हुए कहा कि निर्णय सृजन की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है (या कार्यान्वित नहीं किया जाता हैं)। यूएनडीपी के अनुसार, शासन सभी स्तरों पर किसी देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रयोग में लाना है। इसमें तंत्र, प्रक्रिया और संस्थान शामिल हैं, जिसके माध्यम से नागरिक और समूह उनके हितों को व्यक्त करते हैं, उनके कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हैं, उनके दायित्वों को पूरा करते हैं और उनके मतभेदों की मध्यस्थता करते हैं।

शासन में, नागरिक उनकी आवश्यकताओं और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार की जवाबदेहिता से संबंधित होते हैं। सामान्य तौर पर, शासन एक कुशल, प्रभावी और जवाबदेह सार्वजनिक प्रबंधन प्रक्रिया विकसित करने के लिए सरकार की क्षमता से संबंधित है जो नागरिक भागीदारी के लिए खुला है और जो सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने के बजाय मजबूत करता है (यूएसएआईडी, लोकतंत्र एवं शासन विभाग)।

सरकार बनाम शासन

शासन नवउदारवादी युग में एक नई अवधारणा के रूप में उभर रहा है और सरकार की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया है। भले ही सरकार और शासन समान दिखते हों, लेकिन उनका एक अलग अर्थ है। शासन निर्णय लेने और निर्णयों को क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में न केवल सरकार बल्कि बाजार और नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासन एक सामूहिक प्रक्रिया है और शासन की प्रक्रिया में सरकार अभिकर्ताओं में से एक है।

सुशासन

सुशासन, इसलिए, शासन का एक उप-समुच्चय है, जिसमें सार्वजनिक संसाधनों और समस्याओं को प्रभावी ढंग से, कुशलतापूर्वक और समाज की महत्वपूर्ण जरूरतों के जवाब में प्रबंधित किया जाता है। सुशासन संयोग से नहीं होता है। नागरिकों द्वारा इसकी मांग की जानी चाहिए तथा राष्ट्र और राज्य द्वारा स्पष्ट और सचेत रूप से इसका पालन किया जाना चाहिए।

शासन के प्रभावी लोकतांत्रिक रूप जनता की भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता पर निर्भर करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में खुले तौर पर और पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति दी जाए। सुशासन तद्नुसार जवाबदेह राजनीतिक नेतृत्व, प्रबुद्ध नीति-निर्माण और एक नागरिक सेवा है जो एक पेशेवर लोकाचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसे प्रभावी स्थानीय निकायों के साथ-साथ कुशल नेतृत्व के निर्माण में समस्तरीय प्रभाव प्रदान करने के लिए उपयुक्त संस्थानों के गठन और पेशेवर के संचय की आवश्यकता है। सुशासन के लिए निष्ठा, संगठनात्मक जवाबदेही और आंतरिक समस्या-समाधान की आवश्यकता होती है।

सुशासन क्यों?

दुनिया के कुछ हिस्सों में कुशासन के उदाहरण हैं। कुशासन लोगों को कष्ट देगा और देशों के विकास को विफल कर देगा । यदि शासन अच्छा है, तो देश विकास, न्याय, शांति और समृद्धि हासिल कर सकते हैं।

सुशासन उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और सुशासन कई सकारात्मक विशेषताओं को साझा करता है। इसलिए, हाल के वर्षों में, कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सुशासन की अवधारणा को सख्ती से बढ़ावा देते हैं। प्रमुख ऋण दाता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान तेजी से अपनी सहायता और ऋण इस शर्त पर दे रहे हैं कि सुधार "सुशासन" सुनिश्चित करते हैं।

सुशासन की अवधारणा का उद्भव
सुशासन क्या है?

अन्य बातों के अलावा सुशासन भागीदारी, पारदर्शी और जवाबदेह है। यह प्रभावी और कुशल है। यह विधि-नियम को बढ़ावा देता है। सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएँ समाज में व्यापक सर्वसम्मति

सरकार	शासन
यह एक संस्था है	यह एक प्रक्रिया है
इसका स्वरुप नियंत्रणात्मक है	इसका स्वरुप सहभागी है
यह पदानुक्रम पर आधारित है	यह नेटवर्क पर आधारित है
यह विशेष रूप से राज्य-विशिष्ट है	इसमें राज्य, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र शामिल हैं
यह केवल अधिकारी-वर्ग को जिम्मेदारी सौंपती है	यह लोगों के विभिन्न समूहों को जिम्मेदारी सौंपती है
यह राज्यों के कामकाज के साथ अधिक संबंधित है	इसका संबंध सामाजिक कार्यप्रणाली से भी है
निर्णय निर्वाचित नेताओं और नौकरशाहों द्वारा लिया जाता है	नागरिक समाज और निजी क्षेत्र द्वारा भी निर्णयों का योगदान होता है
निर्णय-सृजन में लोगो की भागीदारी नहीं होती है	लोग निर्णय-सृजन में भाग ले सकते हैं
सरकार केवल अभिकर्ता है	शासन में, सरकार नागरिक समाज और बाजार के साथ-साथ अभिकर्ताओं में से एक है
सरकार एक पारंपरिक अवधारणा है	शासन एक उदारवादी अवधारणा है

पर आधारित हों और विकास संसाधनों के आवंटन पर निर्णय लेने में सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की आवाज़ सुनी जाए।

सुशासन की आवश्यकता, महत्व और कारक

कुछ देशों में, सरकारें अक्षम और अप्रभावी हैं। कभी-कभी वे निरंकुश और अलोकतांत्रिक होते हैं। इसी वजह से, वे कमजोर हो गए हैं और विकास को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, और इसके परिणामस्वरूप कुशासन होता है। अनुपयुक्त शासन लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और भ्रष्टाचार, गरीबी और संघर्ष उत्पन्न करता है। जैसा कि सरकार की विश्वसनीयता घट रही है, लोग सरकारों और उनके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार, नागरिक समाज और बाजार मिलकर सुशासन का विकास कर सकते हैं क्योंकि विकास के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। सुशासन के बिना, विकास हासिल नहीं किया जा सकता है।

किसी देश में सुशासन जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा दे सकता है और लोगों की आजीविका की गारंटी दे सकता है। यह समाज के सभी वर्गों को न्याय, समता और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है। यह लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है और लोकतंत्र की संस्थाओं को बनाए रख सकता है। यह मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। यह अल्पसंख्यकों और सीमान्तीकृत लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है । यह लैंगिक न्याय की गारंटी देता है और सुनिश्चित करता है। यह सरकार के कामकाज को वैधता प्रदान करता है। यह निर्णय लेने और सार्वजनिक मामलों में लोगों की भागीदारी उत्पन्न करता है। यह विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। यह नागरिकों को सशक्त बनाता है और उनकी क्षमताओं का निर्माण करता है। यह उदार आर्थिक नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह निजी क्षेत्र के माध्यम से उद्यमशीलता और आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करता है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। सुशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समावेशी और सतत विकास के लिए काम करता है।

फर्नीचर बनाने में लगी महिला उद्यमी (फाइल फोटो)। सुशासन नागरिकों को उनकी क्षमताओं का निर्माण करने में सशक्त बनता है

शुद्ध पेयजल लेने वाली ग्रामीण महिलाओं की फाइल फोटो। सुशासन सरकारी सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करता है और मानव विकास को बढ़ावा देता है ।

सुशासन की विशेषताएं

सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएं हैं। उनमें भागीदारी, विधि-नियम, पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मति से निर्णय-सृजन, निष्पक्षता और समावेशिता, प्रभावशीलता और कार्यक्षमता और जवाबदेही हैं। सुशासन कानून और न्याय के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का आश्वासन देता है। यह भ्रष्टाचार को खत्म करता है और प्रशासन में पारदर्शिता की गारंटी देता है। यह सीमान्तीकृत और अल्पसंख्यकों के कल्याण को आगे बढ़ाता है। यह मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन की गारंटी देता है। यह सरकारी सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करता है और मानव विकास को बढ़ावा देता है। यह उद्योगों, व्यापार और वाणिज्य के गतिशील विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है।

सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

सहभागिता

निर्णय-सृजन में नागरिकों की भागीदारी सुशासन की नींव है। भागीदारी एक सफल लोकतंत्र की कुंजी है और यह शासन की अधिकांश समस्याओं का समाधान है। भागीदारी केवल उचित सुगम साधनों के साथ उत्पन्न की जा सकती है और सुशासन संस्थागत भागीदारी होगी। यह नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी और वैध मध्यस्थ संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से भी हो सकती है।

सुशासन को शासन के विभिन्न स्तरों पर भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। उसे शासन में भाग लेने के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना चाहिए। कानून के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहिए। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सीमान्तीकृत लोगों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए और कानूनी साधनों को उनकी भागीदारी की गारंटी देनी चाहिए।

नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसाधारण स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण एक उचित नीति है। स्थानीय सरकारों में सीमान्त रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण शासन में अब तक वंचित समूहों की भागीदारी के लिए द्वार खोल सकता है।

विधि-नियम

विधि-नियम सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। शासन कानून प्रवर्तन की एक प्रणाली है। कानून का निष्पक्ष और न्यायोचित अनुप्रयोग सुशासन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। सुशासन की गारंटी है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून को सख्ती से और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है।

सुव्यवस्थित विधि व्यवस्था के माध्यम से सुशासन मानव अधिकारों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस प्रशासन प्रदान करता है। न्यायिक प्रणाली में सुधार होना चाहिए और बिना देरी के न्याय दिया जाना चाहिए।

पारदर्शिता

शासन को खुला शासन होना चाहिए। सरकार में गोपनीयता की प्रक्रियाओं को पारदर्शिता की प्रक्रियाओं से बदला जाना चाहिए। सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि शासन प्रक्रिया में निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली और कानून और स्थापित

स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार सख्त हो।

यह सरकार में प्रशासन के लेन-देन पर नागरिकों को पूर्ण दृश्यता प्रदान करता है। यह नागरिकों द्वारा सरकार की प्रक्रियाओं को सरल और आसानी से समझा जा सकता है। यह नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है।

जवाबदेहीता

उत्तरदायित्व कर्तव्यों के प्रदर्शन पर नागरिकों को दी गई गारंटी है। जिम्मेदारी निर्धारित समय के भीतर सौंपे गए कार्यों को करने की प्रणाली की क्षमता है। शासन प्रणाली लोगों के विचारों, आलोचनाओं, सुझावों, अपीलों और मांगों के लिए खुली होनी चाहिए। सुशासन में, सरकारी एजेंसियां और अधिकारी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार त्वरित और उचित प्रतिक्रिया देंगे।

जवाबदेही निर्णय लेने की एक लोकतांत्रिक, विचारोत्तेजक और परामर्शात्मक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। सरकार को यांत्रिक रूप से स्वयं कार्य नहीं करना चाहिए और उन्हें लोगों के विचारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शासन प्रणाली लोगों की धारणाओं के प्रति संवेदनशील और व्यवस्थित होगी। सरकार को लोगों को अग्रसक्रिय रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनकी राय लेनी चाहिए।

कार्योन्मुख सम्मति

लोकतंत्र का मतलब बहुमत से शासन करना नहीं है। सर्वसम्मति की नीति के आधार पर सुशासन से कार्य करना चाहिए। इसे समाज में विभिन्न हितों की बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए। इसमें प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संभाषण और संवाद की सुविधा होनी चाहिए। सुशासन के लिए परस्पर विरोधी हितों का सामंजस्य और सुलह आवश्यक है। निर्णय केवल बहुमत द्वारा नहीं लिए जाने चाहिए और सुशासन की प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की राय और हित को उचित महत्व मिलना चाहिए।

समता और समावेशिता

निष्पक्षता और समावेशिता लोकतंत्र की नींव है। विशेषाधिकार और विशेष आवाभगतको समाप्त किया जाना चाहिए। सुशासन में सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि उसके साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। सीमान्तीकृत, कमजोर और अल्पसंख्यकों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुशासन किसी भी समूह को मुख्यधारा से अलग नहीं करना चाहिए। नीति समावेश को बढ़ावा देने से शासन को मजबूती मिलेगी और समाज में स्थायीपन आएग।

प्रभावशीलता और कार्यक्षमता

सुशासन शासन की प्रक्रिया में नवाचारों को बढ़ावा देगा। प्रक्रियाओं को सरल और लोगों की जरूरतों के अनुकूल बना सकेगा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन में दक्षता बढ़ेगी। शासन को नागरिकों को प्रभावी और कार्यक्षम आपूर्ति की गारंटी देनी चाहिए। प्रभावी और कार्यक्षम सेवा वितरण सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण संभावनाओं में से एक है। सार्वजनिक संसाधनों को बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ प्रबंधित किया जाना चाहिए।

जवाबदेहिता

जवाबदेही सुशासन में निर्णयों और कार्यों के लिए व्यक्तिगत और संगठनों पर नियत जिम्मेदारी है। सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में विफलताओं और खामियों को दंडित किया जाएगा। लोगों को न केवल राज्य से बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज से भी जवाबदेही मांगने का अधिकार है। राज्य, सरकार, बाजार और नागरिक समाज के कामकाज को विनियमित करने के लिए लोगों को जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रबल साधन प्रदान किए जाने चाहिए।

सुशासन: निष्कर्ष, परिणाम और प्रभाव

सुशासन सरकार की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत परिवर्तन ला सकता है। सुशासन के निष्कर्ष, परिणाम और प्रभाव समाज में पर्याप्त परिवर्तन लाएगा। सुशासन से समाज में विकास, न्याय और समानता बढ़ेगी। सुशासन के परिणामस्वरूप लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। यह शासन की विश्वसनीयता और शासन पर लोगों के विश्वास को भी बढ़ा सकता है।

सुशासन के परिणाम

सुशासन के परिणाम बुनियादी तौर पर प्रत्यक्ष, औसत दर्जे का और दृश्यमान परिणाम प्रदान कर सकते हैं। लोग अपने जीवन में सीधे सुशासन के प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। इसमें सरकारी सेवाओं के वितरण की कार्यक्षमता में वृद्धि और सेवाओं की गुणवत्ता शामिल है। सुशासन के आउटपुट समुदाय की जरूरतों को पूरा करेंगे। बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं जैसी अधिकांश भौतिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से वितरित किया जाएगा। लोग अनुभव कर सकते हैं कि व्यवस्था अधिक जवाबदेह, प्रभावी और उत्तरदायी बन गई है।

सेवा वितरण

सुशासन के तत्काल नतीजों से लोगों को सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार होगा। लोगों को यह गारंटी होगी कि सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें वितरित किया जाएगा। सुशासन सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा। इसके परिणामस्वरूप जीवन की बेहतर

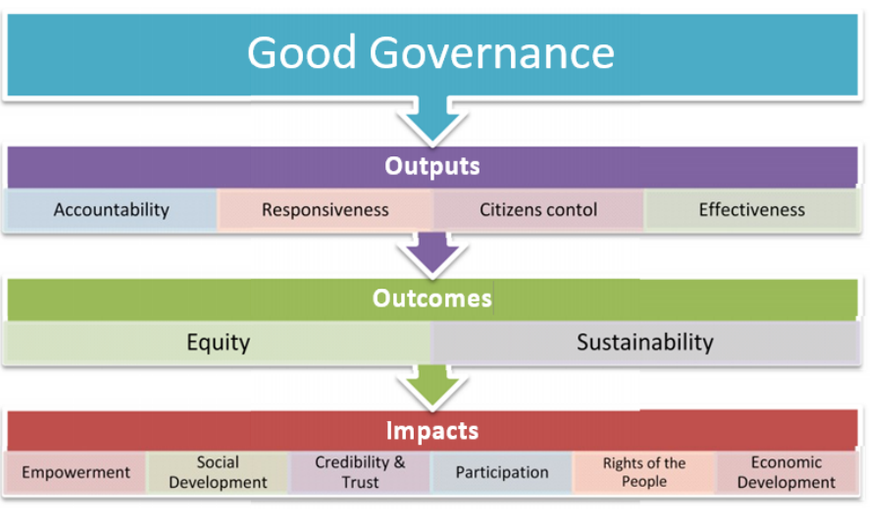

बागान में काम करने वाली महिलाओं की फाइल फोटो। सुशासन का नतीजा, परिणाम और प्रभाव समाज में पर्याप्त परिवर्तन लाएगा

गुणवत्ता और सामाजिक और मानव विकास में सुधार होगा।

जवाबदेहिता

लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सरकारी की प्रणाली उनके प्रति जवाबदेह है। सुशासन शासन प्रणाली, सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। नागरिक निर्णय लेने वालों से जानकारी मांग सकते हैं। निर्णयकर्ता समझाने और उनके द्वारा किए गए निर्णयों को सही ठहराने के लिए बाध्य हैं। यह शासन प्रणाली को अधिक जिम्मेदार बनाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में शासन में कार्यकर्त्ता अधिक सतर्क और ईमानदार हो जाते हैं। जवाबदेही के दो भाग हैं; इसे जनता को शासन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करना चाहिए और यह भी गारंटी देना चाहिए कि वे कानून, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रक्रियाओं, नियमों और कानूनों का अनुपालन करने में निर्णयकर्ताओं को विवश करने के लिए नागरिकों की शक्ति जवाबदेही है। जवाबदेही यह भी सुनिश्चित करती है कि निष्क्रियता और शक्ति के दुरुपयोग के लिए दंडित किया जाता है।

नागरिक नियंत्रण

सुशासन नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया की निगरानी करने का अवसर देता है। यह नागरिकों को नियामक साधन देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा साधनों का सही उपयोग किया जाए। नियामक साधन इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नागरिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का ठीक से संचालन हो। नागरिकों के लिए उपलब्ध कुछ साधनों में सामाजिक लेखापरीक्षा, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक सेवा गारंटी प्रणाली और सार्वजनिक सुनवाई हैं।

जवाबदेहिता

निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित मानकों के अनुसार सौंपे गए कार्य को करने के लिए शासन प्रणाली की क्षमता जवाबदेह है। शासन प्रणाली नागरिकों के विचारों, आलोचनाओं, सुझावों, अपीलों और मांगों के लिए खुली होनी चाहिए। सुशासन में, सरकारी एजेंसियां और अधिकारी लोगों की मांगों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया देंगे।

जवाबदेहिता निर्णय लेने की एक लोकतांत्रिक, विचारोत्तेजक और परामर्शात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। सरकार में निर्णय-सृजन लोगों की भावनाओं के प्रति विचारहीन एवं विवेकशून्य नहीं होगा। शासन प्रणाली लोगों के लिए अधिक संवेदनशील और अधिक व्यवस्थित होगी। इसमें संशोधन एवं सुधार के लिए लोगों और प्रणालियों से निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु व्यवस्था होगी।

प्रभावशीलता

सुशासन लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष और संतोषजनक परिणाम और पर्याप्त सुधार लाएगा। शासन को निर्धारित समय के भीतर वांछित परिणाम देने होंगे। सुशासन की प्रक्रिया से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। शासन की वितरण प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। यह व्यवस्था में मूल्यवान सार्वजनिक संसाधनों के अपव्यय और रिसाव को बचाएगा। संसाधनों का केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाएगा। सुशासन सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा और अंतत: समाप्त करेगा। यह सार्वजनिक व्यय की लागत-प्रभावशीलता में सुधार करेगा।

सुशासन के परिणाम

परिणामों में सुशासन द्वारा लाए गए स्थायी और टिकाऊ परिणाम शामिल हैं। इसमें नीतियां और कानून भी शामिल हैं। परिणाम प्रणाली और परिवेश में पर्याप्त बदलाव लाते हैं। नागरिकों के जीवन में उनका स्थायी प्रभाव होगा। सुशासन के कुछ परिणामों पर यहां चर्चा की गई है।

समता

सुशासन समाज को और अधिक न्यायसंगत बनाएगा। सुशासन कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं को लागू करके समाज में निष्पक्षता बढ़ाता है। यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए साधनों का निर्माण करता है। सभी नागरिकों को सुशासन द्वारा कानून के समक्ष समान माना जाता है। कुलीन वर्ग और शक्तिशाली द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार और फायदे सुशासन की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। प्रत्येक नागरिक समान स्तर का लाभ ले सकता है। सुशासन सभी के लिए स्वतंत्र

और निष्पक्ष अवसरों की संभावना देता है और उन्हें विकास के लिए उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। यह सभी को कड़ी मेहनत करने, उनकी प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा करने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में, व्यक्तियों को समाज में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का अवसर मिलेगा।

सततता

सुशासन शासन में कुशल प्रणालियों और संरचनाओं का निर्माण और उन्हें मजबूत करता है। यह लोगो की भलाई या राज्य की सद्भावना के लिए व्यक्तिगत नेतृत्व पर ज्यादा निर्भर नहीं करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मजबूत संगठन और प्रबंधन प्रणाली कुशलतापूर्वक उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए स्थापित और संचालित किए जाते हैं। लोगों के विकास और न्याय की गारंटी देने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मजबूत संगठनात्मक संरचनाओं और प्रबंधन प्रणालियों द्वारा सुशासन की स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।

सुशासन के प्रभाव

सुशासन, लंबे समय में, समाज में गहरा प्रभाव डालेगा। सुशासन के प्रभाव पर्याप्त और मौलिक होंगे। यह समाज में एक बदलाव लाएगा। समाज में सतत विकास, न्याय और समृद्धि होगी। यह नागरिकों को न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार देगा।

सशक्तिकरण

सुशासन से नागरिकों का सशक्तीकरण होगा। नागरिकों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों पर अधिकार रखने की क्षमता मिलेगी। शासन नागरिकों के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करने की क्षमता विकसित करेगा।

सरकार और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य संस्थानों के कामकाज की निगरानी करके नागरिक सतर्क रहेंगे। नागरिकों में आत्म-विश्वास होगा और आत्म-सम्मान का उच्च स्तर होना चाहिए। नागरिकों में अन्याय का सफलतापूर्वक विरोध करने और शासन प्रणाली में अन्याय और अनुचित को समाप्त करने की क्षमता होगी।

सहभागिता

सुशासन शासन में नागरिकों की सहभागिताको साकार करेगा। नागरिक न केवल भाग लेने के लिए आगे आएंगे बल्कि सरकार के विकास प्रयासों में भी योगदान देंगे। सुशासन के परिणामस्वरूप नागरिकों को साथ ले चलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोगो की तरक्की और नागरिकता की गुणवत्ता सुशासन के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक हो सकती हैं।

सामाजिक विकास और कल्याण

सुशासन लोगों के घर-द्वार तक सामाजिक विकास और कल्याण लाएगा। देश सुशासन के प्रभाव के रूप में मानव और सामाजिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। सामाजिक और मानव विकास वृद्धि और समृद्धि लाएगा। यह मानव संसाधन और मानव क्षमताओं को बढ़ाएगा। सामाजिक और मानवीय विकास लोकतंत्र और प्रशासन की संस्थाओं को मजबूत करेगा।

जनता के अधिकार

समाज के सभी वर्गों के लिए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की गारंटी होगी। सुशासन समाज में जातीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों, सीमान्तीकृत और वंचित समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करेगा। सुशासन उनके मानवीय और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें उपकरण और साधन देगा। यह विकास, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए उनके अधिकारों के लिए उनके अधिकार को भी सुनिश्चित करेगा।

विश्वसनीयता और न्यास

सुशासन से व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास और आस्था बढ़ेगा। यह राज्य की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। राज्य की विश्वसनीयता में वृद्धि, शासन के लिए नागरिकों के सहयोग, भागीदारी और योगदान को उत्पन्न करेगी। यह समाज में व्यक्तियों की ईमानदारी और विश्वसनीयता को बढ़ावा देगा और कुल मिलाकर, सामाजिक विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। यह व्यापार और आर्थिक समृद्धि के लिए बेहतर परिवेश की सुविधा प्रदान करेगा।

आर्थिक विकास

सुशासन राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास और लोगों के लिए समृद्धि लाएगा। यह व्यापार करने में समस्याओं को कम करेगा और उद्यमशीलता और निवेश को सुविधाजनक बनाएगा। परिणामस्वरूप, देशों का समग्र आर्थिक विकास होगा। बाजार और कॉर्पोरेट क्षेत्र में सुशासन ईमानदारी और कार्यक्षमता को बढ़ावा देगा। निजी क्षेत्र में, यह नैतिकता और ईमानदारी के आधार पर बेहतर सेवा सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

शासन, सरकार, नागरिक समाज और बाजार की पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से निर्णय लेने और निष्पादन की प्रक्रिया है। शासन अपने स्वरुप में भागीदारी और समावेशी है। नई उदार दुनिया में, शासन की अवधारणा को अधिक महत्व मिला है क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों और आकांक्षा को पूरा कर सकता है। सुशासन एक बढ़ती अवधारणा है और नए अर्थ विशेषताओं और तत्वों को इसमें जोड़ा जाता है। सुशासन एक अभिनव सफलता है। सुशासन इस प्रकार शासन की एक उप-श्रेणी है, जिसमें समझ-बूझ से सार्वजनिक संसाधनों और कठिनाइयों को भली-भांति प्रबंधित किया जाता है। सुशासन का समाज में सकारात्मक परिणाम लाने का स्पष्ट उद्देश्य है। यह कुशल उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन की गारंटी दे सकता है और यह विकास, न्याय, समृद्धि और शांति को बढ़ावा देगा। यह न केवल सरकार बल्कि कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी संगठनों को भी नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। सुशासन का समाज पर मौलिक और स्थायी प्रभाव है। सुशासन की विशेषताओं के उचित कार्यान्वयन से समाज में मूलभूत परिवर्तन होंगे। यह विकास, न्याय, निष्पक्षता और शांति को बढ़ावा देगा। यह सीमान्तीकृत लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मूलभूत परिवर्तनों में व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण, व्यवस्था में न्याय सुनिश्चित करना और व्यवस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाना शामिल होगा।

परिणामस्वरूप, सुशासन समाज में विकास और समृद्धि लाएगा। समाज में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी और समाज अधिक समावेशी हो जाएगा। शासन में भाग लेने के लिए नागरिकों के पास बेहतर अवसर होंगे। लोकतंत्र को अधिक गंभीर और मजबूत किया जाएगा। समाज अधिक ईमानदार और नैतिक होगा।

डॉ. के. प्रभाकर
सहायक प्रोफेसर
सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र
(सीजीजीपीए)
एनआईआरडीपीआर

आवरण पृष्ठ : **वी.जी. भट्ट**

प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में कोविद-19 की रोकथाम में सामुदायिक कार्य

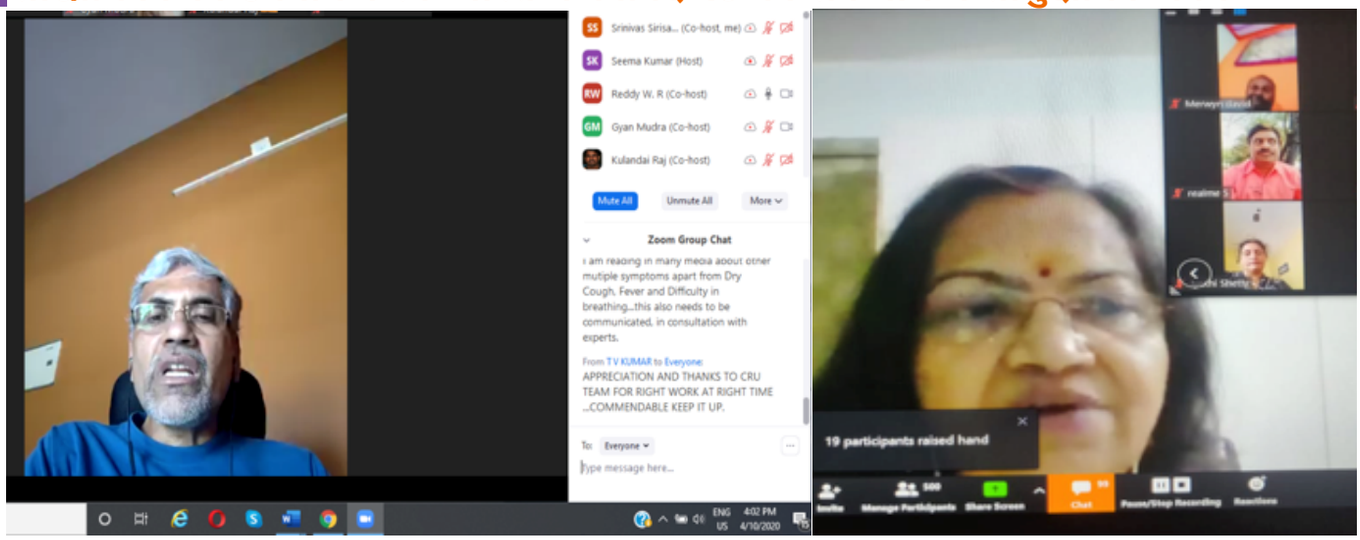

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के दौरान डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, (बाएं) और डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए, एनआईआरडीपीआर और सीआरयू (दाएं)

चीन से व्युत्पन्न नया कोरोना वायरस (कोविद-19) का पहला मामला भारत के केरल में 30 जनवरी, 2020 को सामने आया। पहले मामले का पता लगाने के 90 दिनों के भीतर, कोविद-19 सभी राज्यों में फैल गया है और मानवता, जीवनशैली, आजीविका, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और सभी वर्ग, जाति और सम्प्रदाय के लोगों की भलाई को प्रभावित कर रहा है। महामारी से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए संचार संसाधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ने भागीदारी की और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोविद-19 की महामारी में सहयोग दिया।

कोविद-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जोखिम संचार की योजना

सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ की टीम ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की समीक्षा की और कोविद-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक संकट संचार योजना तैयार की। लॉकडाउन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लोगों के बीच कोविद-19 निवारक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक नवीन सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री वाले समुदायों को संलग्न करने के लिए एक विस्तृत रणनीति पर काम किया गया।

ज़ूम कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दो घंटे का प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया । मॉड्यूल में समस्या प्रबंधन, कोविद-19 के बारे में मुख्य तथ्य, स्वयं को कोविद -19 से बचाने के लिए सभी से प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख व्यवहार, कोविद-19 संबंधित लक्षणों की रोक आदि को व्यापक रूप से शामिल किया गया। निवारक व्यवहार को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण को अगले स्तर तक ले जाने, सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार करने और प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब देने में हितधारकों की भूमिका प्रमुख रही है ।

स्रोत टीम

सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ ने एक स्रोत टीम का गठन किया जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, संचार विशेषज्ञ और विकास पेशेवर शामिल हैं। डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए, एनआईआरडीपीआर और सीआरयू, के नेतृत्व में इस टीम ने सुश्री सीमा कुमार, सी 4 डी विशेषज्ञ-यूनिसेफ, डॉ. संजीव उपाध्याय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ-यूनिसेफ और अन्य सलाहकार के सहयोग से विभिन्न विभागों के कई हितधारकों के साथ टीओटी का संचालन किया।

प्रशिक्षण के लिए हितधारकों के साथ साझेदारी और प्लेटफार्मों का निर्माण

सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ ने विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी की जो सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), नगरपालिका क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन मिशन (एमईपीएमए), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, विस्तार प्रशिक्षण केंद्र आदि सभी संगठन ग्रामीण और शहरी समुदायों तक पहुंचने के कार्य में जुड़े रहे।

परिणाम

टीम ने लाइसेंस प्राप्त ज़ूम कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से टीओटी का संचालन किया। इसने उद्घाटन भाषण के लिए विभागों के शीर्ष अधिकारी को आमंत्रित किया और प्रतिभागियों को प्रेरित किया और उनकी अपेक्षित भूमिका के बारे में जानकारी दी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के साथ पहली बैठक में, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव श्री सोमेश कुमार, तेलंगाना राज्य ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीक का उपयोग करने संबंधी सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ को बधाई दी। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और जनसाधारण स्तर तक इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण में सहभागी प्रतिभागियों के अलावा संबंधित विभागों के अन्य विभागाध्यक्षों को प्रेरित किया।

लॉकडाउन के बाद : सुरक्षा उपाय

पेशेवर काम पर जाने के लिए विभिन्न व्यवहारों पर अभिनेता अक्षय कुमार की विशेषता वाले प्रेरक वीडियो का स्क्रीनशॉट, जो कार्यशाला के दौरान दिखाया गया था। इस वीडियो को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया ।

कोविद-19 की रोकथाम के लिए सामुदायिक कार्य पर आयोजित हितधारक-वार टीओटी

ज़ूम कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रति बैच में 245 प्रतिभागियों के औसत से 45 बैचों में लगभग 11,028 हितधारकों को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। देश भर में प्रशिक्षित प्रमुख हितधारकों में ग्रामीण विकास और पंचायत राज, एसईआरपी, एमईपीएमए, पीएचसी और आयुष चिकित्सा अधिकारी, एनएसएस हितधारक, एसआरएलएम, ट्राइफेड, पंचायत अध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी और सिक्किम की एसआरएलएम टीम, एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी, ईटीसी के संकाय सदस्य और कई राज्यों के डीडीयू-जीकेवाई के मास्टर प्रशिक्षक और केंद्र प्रबंधक थे।

हितधारकों द्वारा साझा की गई रिपोर्टों से पता चला कि कुल 55.59 लाख ग्रामीण और शहरी समुदायों को टीओटी के माध्यम से कोविद-19 रोकथाम संदेश प्राप्त हुए। कई अन्य विभाग अगले स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया में हैं और कोविद-19 की रोकथाम संदेशों के साथ पहुंचे लोगों पर डेटा साझा करने की संभावना है।

सीआरयू-एनआईआरडीपीआर विभागों से आगे की अपेक्षाओं को और क्या नए विषयों पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों या नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है या नहीं इस पर जानने के अवसरों की खोज कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और यूनिसेफ की संचार संसाधन इकाई (सीआरयू) ने पहल की।

एनआईआरडीपीआर – सीआरयू वैश्विक हो रहा है

4 मई, 2020 को एशिया पैसिफिक कंसोर्टियम ऑफ रिसर्चर्स एंड एजुकेटर्स (एपीसीओआरई) द्वारा कोविद-19 के दौरान जोखिम संचार और जीवन का प्रबंधन करने पर एक वैश्विक वेबिनार आयोजित करने के लिए डॉ. ज्ञानमुद्रा को आमंत्रित किया गया था। छह देशों अर्थात् फिलीपींस, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के 202 शोधकर्ताओं और शिक्षकों ने वेबिनार में भाग लिया और तकनीक का उपयोग करके कोविद-19 को रोकने के लिए सीआरयू- एनआईआरडीपीआर द्वारा किए गए प्रयासों को समझा।

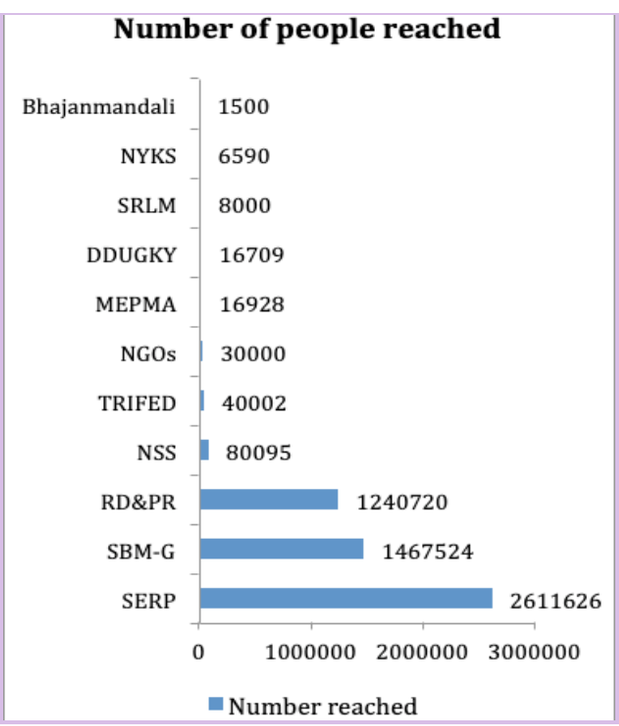

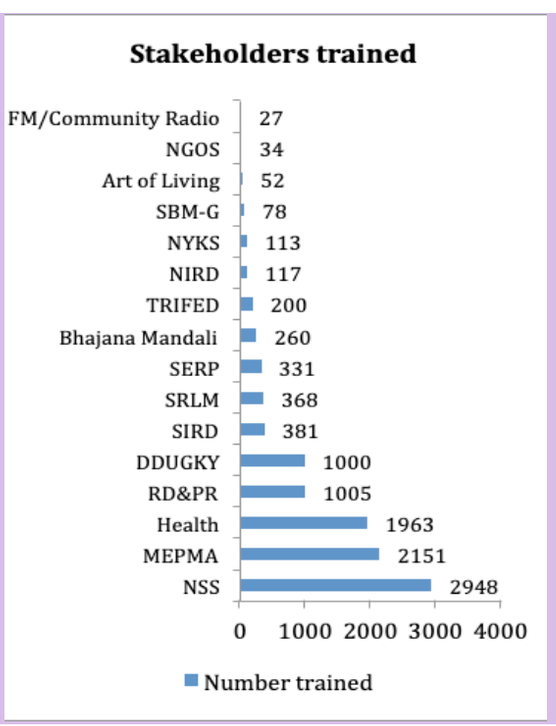

कोविद -19: आरसेटी और एनआईआरडीपीआर ने किया अवसर के अनुरूप कार्य

आंध्र बैंक के कर्मचारी और पूर्व प्रशिक्षुओं ने आंध्र प्रदेश के राजमंड्री आरसेटी को सिलाई मास्क प्रायोजित किया

ऐसे समय में जब देश अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पैमाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल का सामना कर रहा है, हमारा दुःख उन लोगों के प्रति है जो कोविद-19 महामारी से प्रभावित हैं। इन कठिन और परीक्षा समय में, आरसेटी (ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान) इस अवसर के अनुरूप कार्य किए है और फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवाश और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) बनाकर स्थिति से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है।

जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ने कोविद फैलाव को नियंत्रित करने के लिए मास्क पहन रखने का निदेश दे रही है और सरकार नागरिकों से इस अनुमोदन का पालन करने का आग्रह कर रही है, यहां तक कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी जब आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए वे अपने घरों से बाहर निकलते समय सुरक्षा हेतु मास्क की मांग की जा रही है। व्यक्तियों के लिए मास्क और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा और अन्य पेशेवरों के लिए पीपीई हेतु थोड़े समय में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

चूंकि मास्क और पीपीई की मांग में अचानक वृद्धि अकेले नियमित निर्माताओं द्वारा पूरी नहीं की जा सकती थी, आरसेटी इस अवसर पर आगे बढ़ा है और सभी के लिए मास्क और इस महामारी से लड़ने वाले पेशेवरों के लिए पीपीई बनाने के लिए आगे बढ़ा है।

फेस मास्क की कमी के बीच, कई लोग आरसेटी द्वारा तैयार किए गए मास्क को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे और प्रशिक्षुओं की हर संभव तरीके से लोगों की मदद करने की इच्छा की सराहना की - हालांकि मेडिकल ग्रेड - फेस - मास्क की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

मास्क और पीपीई तैयार करने के लिए कच्चा माल जिला प्राधिकरणों और आरसेटी प्रायोजक बैंकों जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदान किया गया था।

एक महीने से भी कम समय में, देश भर में 310 आरसेटी द्वारा 38 लाख से अधिक मास्क और 5000 से अधिक पीपीई तैयार किए गए। कर्मचारियों और आम जनता को वितरण के लिए जिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अस्पतालों और आरसेटी के प्रायोजक बैंकों को मास्क और पीपीई सौंपे गए।

सही मायने में जरूरत पड़ने पर आरसेटी लोगों को कौशल प्रदान करके आरसेटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उनमें अत्यधिक संतुष्टि प्रदान की और देश के हित में कदम बढ़ाने में गर्व की भावना जगाई।

आरसेटी द्वारा किए गए इस अत्यधिक प्रेरक कार्य को एमओआरडी ने आरसेटी लोगों की सराहना करते हुए ट्वीट किया था। मंत्रालय के ट्वीट को प्रमुख व्यक्तियों और समूहों द्वारा पसंद और रीट्वीट किया गया जिसमें भारत के उच्चायोग - इस्लामाबाद, पाकिस्तान, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार, एमएलए, ब्रह्मगिरी, ओडिशा, एसआरएलएम के अधिकारी शामिल है इनके साथ ही विभिन्न अन्य समूहों और व्यक्तियों ने पूर्व और वर्तमान में कार्यरत आरसेटी प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को उजागर किया।

अलग – अलग आरसेटी और प्रशिक्षुओं के उदाहरण, जो इस अवसर पर उभरे हैं :

क) तमिलनाडु के सेलम के इंडियन बैंक के आरसेटी के आरसेटी लोगों ने एक निजी कंपनी से तीन-स्तरित फेस मास्क के मांग की पूर्ति की। उसने खराब आर्थिक परिस्थितियों से जूझने वाली आठ अन्य महिलाओं को काम पर रखकर मार्च और अप्रैल 2020 के महीने में, कुल मिलाकर 45,000 से अधिक मास्क तैयार किए।

ख) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने राजस्थान में अलवर आरसेटी को प्रायोजित किया। कोविद-19 महामारी के कारण कुल 150 भोजन के पैकेट उन जरूरतमंद परिवारों को वितरित किए गए, जो अपनी आजीविका का स्रोत खो चुके हैं। पीएनबी के उच्च अधिकारियों ने खाद्य पैकेट वितरण किया और समग्र आरसेटी कर्मचारियों ने सहयोग दिया।

ग) तमिलनाडु के रूडिसेटी मदुरै ने प्रत्येक दिन 100 लीटर से अधिक सैनिटाइज़र का निर्माण किया। सैनिटाइटर विभिन्न मात्रा की बोतलों में तैयार किए गए थे और बैंकों, सरकारी कार्यालयों, हवाई अड्डे और डाकघरों में उनकी आपूर्ति की गई थी।

घ) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 2018 के बैच से आरसेटी के लोगों ने इस कार्य को आगे बढाया और पीपीई बनाना शुरू कर दिया। इन पीपीई को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में अन्य विनिर्माण इकाइयों और महाराष्ट्र राज्य को आगे की आपूर्ति के लिए आपूर्ति की गई थी। उसने 3000 से अधिक पीपीई की आपूर्ति की है।

ड.) मोमबत्ती बनाने वाले तमिलनाडु के पेरम्बलुर आरसेटी के बैच के आरसेटी लोगों ने 1,200 से अधिक मास्क बनाए हैं, 1,500 लीटर फर्श क्लीनर, 8,000 हाथ धोने के साबुन, 1,000 लीटर सैनिटाइज़र और 2,000 लीटर फ़िनाइल का निर्माण किया है। उसने इन सभी उत्पादों को स्थानीय सरकारी अस्पताल और आसपास के फार्मेसियों को आपूर्ति की है।

च) बैंक ऑफ इंडिया की आरसेटी प्रायोजित मध्य प्रदेश की बड़वानी आरसेटी ने 3,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले (90 जीएसएम) पीपीई की सिलाई की और आईटीआई इंदौर, सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को आपूर्ति की।

महामारी से लड़ने में एनआईआरडीपीआर की भूमिका

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शाखा के रूप में समान रूप से निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों के साथ मिलकर गांवों में कोविद-19 मामलों के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार का पालन करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने यूनिसेफ हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय के सहयोग से 28.33 लाख से अधिक सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित किया है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के अधिकारियों और स्वयंसेवकों की भूमिका पर क्षमता निर्माण के प्रयासों को मजबूत किया गया है। वे अपने समूहों और ग्राम समुदायों में कोविद-19 के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण को कई लोगों ने सराहा और प्रेस में व्यापक कवरेज प्राप्त किया।

यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड कार्यालय के सहयोग के अलावा, एनआईआरडीपीआर ने सोशल मीडिया पर हिंदी में कई वीडियो को तैयार और अंकित किया है, जिसमें घर पर सिलाई मशीन के साथ और सिलाई मशीन के बिना फेस मास्क बनाने, कोविद-19 / कोरोनावायरस की व्याख्या करने वाला वीडियो, प्रवासी श्रमिकों का प्रबंधन और कोविद-19 / कोरोनावायरस के फैलने से रोकने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों सहित विभिन्न विषयों को कवर किया गया है।

किराणा सामान खरीदते समय, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान का उपयोग और कोविद-19 / कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने, हैंड सैनिटाइज़र बनाने, वीडियो की पुष्टिकृत कोविद-19 पॉजिटिव रोगी के सीधे संपर्क का पता लगाने कोविद-19 की रोकथाम के लिए उचित पद्धतियों के महत्व को स्पष्ट करने वाला वीडियो है निर्माण के दौरान निवारक उपाय उठाए जाने चाहिए । एनआईआरडीपीआर के उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक केंद्र ने तीन दिन (22-24 अप्रैल, 2020) एक से डेढ़ घंटे (14:00 से 15:30 बजे तक) के लिए कोविद-19 महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर समग्र रूप से सभी के लिए वेबिनार का आयोजन किया है। इस प्रकार, आरसेटी और एनआईआरडीपीआर कोविद-19 के फैलाव को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

-आरसेटी परियोजना

रूडिसेटी मदुरै, तमिलनाडु द्वारा जनता के लिए तैयार किए गए मास्क का वितरण

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रायोजित बाले खान आरसेटी राजस्थान पुलिस को मास्क वितरित करते हुए

एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों ने कोविद-19 राहत के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि और तेलंगाना राज्य राहत निधि में योगदान

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के कर्मचारियों ने चल रहे कोविद-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री राहत निधि और तेलंगाना राज्य मुख्यमंत्री राहत निधि के लिए उदारता पूर्वक योगदान दिया है।

जब सरकार अन्य विभागों / एजेंसियों के साथ मिलकर इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय कर रही होती है ऐसे समय में इस प्रकार का दान राहत के काफी काम आता है।

संस्थान के कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री सुरक्षा निधि में रु.11,93,054 (ग्यारह लाख तिरानवे हजार चौवन रुपये) का योगदान दिया और तेलंगाना राज्य मुख्यमंत्री राहत निधि में रु. 8,81,148 (आठ लाख इक्यासी हजार एक सौ अड़तालीस रुपये) का योगदान दिया। इसमें डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने उनके एक महीने के वेतन रु. 2,81,920 (दो लाख इक्यासी हजार नौ सौ बीस रुपए) का योगदान दिया।

एनआईआरडीपीआर ने जनसाधारण स्तर तक पहुंचने के लिए एंड्रायड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन 'एनआईआरडीपीआर कनेक्ट' को प्रारंभ किया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों, किसानों, महिलाओं के उद्यमी और ग्राम पंचायत के अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्रामीण भारत में संचार को बढ़ाने के लिए और जनासधारण तक पहुँचने में संचार को बाधित करने वाली अड़चनों का समाधान करने के लिए 'एनआईआरडीपीआर ने 100 पिन्स मास ब्रॉडकास्टिंग ऐप की तकनीकी सहायता से एनआईआरडीपीआर ने कनेक्ट' नामक नए मोबाइल ऐप को आगे बढ़ाया है।

एनआईआरडीपीआर कनेक्ट ऐप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इस एप्लिकेशन को व्यवहार में लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कोविद-19 लॉकडाउन जैसे कठिन समय में ग्राम पंचायत के अधिकारियों तक पहुंचना है। बटन को केवल एक बार दबाने से, एनआईआरडीपीआर ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं को संदेश भेज सकता है।

एप्लिकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं:

1. ऐप में बडी संख्या में समूह बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक समूह में असंख्या उपयोगकर्ता हो सकते हैं

2. एप्लिकेशन प्रेषक को खोज और प्राप्तकर्ताओं को सॉर्ट करने की अनुमति देता है

3. ऐप में गोपनीय जानकारी जैसे मोबाइल फोन नंबर, उपयोगकर्ताओं के नाम आदि की आवश्यकता नहीं होती है।

4. ऐप का एड्मिनिस्ट्रेटर चुनाव कर सकता है और इस ऐप के साथ उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया एकत्र कर सकता है

5. कनेक्ट के पास कुछ समूहों या व्यक्तियों को संदेश को प्रतिबंधित करने का विकल्प है

6. संपर्कों को थोक में ऐप पर अपलोड किए जा सकते हैं

पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण (सीपीआरडीडीएसडी) एनआईआरडीपीआर के अनुसार, ग्राम पंचायत के अधिकारियों के अलावा, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और एनआईआरडीपीआर के संकाय ऐप के सदस्य हैं।

यह ऐप कम समय में 2.3 मिलियन पंचायत सचिवों और अधिकारियों तक पहुंच सकता है। वर्तमान में, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और ऐप की सेवाएं मुफ्त में प्राप्त की जा सकती हैं। चूंकि ऐप को देश भर में काम करना चाहिए, यह क्षेत्रीय भाषाओं

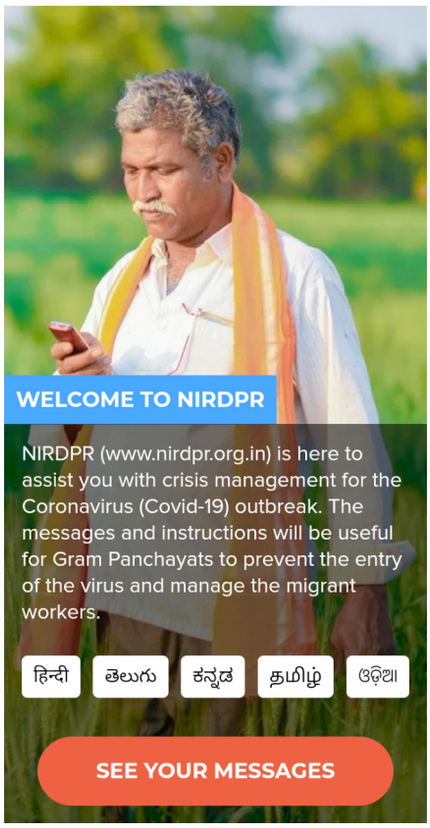

ऐप के होम पेज से स्क्रीनशॉट

में भी उपलब्ध है। एनआईआरडीपीआर कनेक्ट अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और उड़िया में उपलब्ध है। वर्तमान में इस एप्लिकेशन का उपयोग कोविद-19 के संकट प्रबंधन में किया जा रहा है, और ग्राम पंचायतों के लिए उपयोगी निर्देशों और संदेशों को परिचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: पीएम ने योजनाओं का शुभारंभ किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के साथ बातचीत की

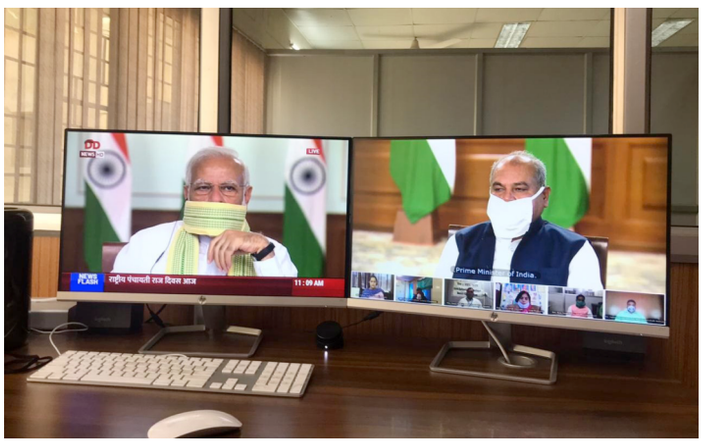

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होने की याद में, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ, हर साल 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की निगरानी के लिए 27 मई, 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय गठित किया गया था। देश में 24 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

कोरोना वायरस संकट के उभरने से लॉकडाउन के कारण, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने 24 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दो कार्यक्रमों / योजनाओं का शुभारंभ किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में ग्राम पंचायतों को संबोधित किया। उन्होंने सात राज्यों में ग्राम पंचायत सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना वायरस की स्थिति के प्रबंधन में उन पंचायतों की भूमिका को समझा गया।

इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित दो कार्यक्रम शुरू किए:

ई-ग्राम स्वराज: यह उपयोगकर्ता अनुकूल वेब आधारित पोर्टल का उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना, प्रगति विवरण और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है।

स्वामित्व योजना: यह योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करती है। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन आधारित सर्वेक्षण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योग्य भूमि का सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके किया जाएगा।

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रम के दौरान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों की भी घोषणा की गई।

- पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए सामान्य और विषयगत श्रेणियों में दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)
- ·दीन दयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसएसपी) सामान्य तौर पर और पंचायतों के सभी तीन स्तरों के लिए विषयगत श्रेणियां
- ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी)
- तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार
- ई-पंचायत पुरस्कार
- बाल-सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार

पंचायती राज के लिए केंद्र, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण (सीपीआरडीडीपीएसएसडी), एनआईआरडीपीआर ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करने में एमओपीआर का समर्थन किया । एनआईआरडीपीआर में ऑडियो विजुअल लैब ने इस अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई उपरोक्त दो योजनाओं के लिए लॉन्च वीडियो का निर्माण किया ।

डॉ. सी. कथिरेसन,
एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष,
सीपीआरडीपीएसएसडी,
एनआईआरडीपीआर

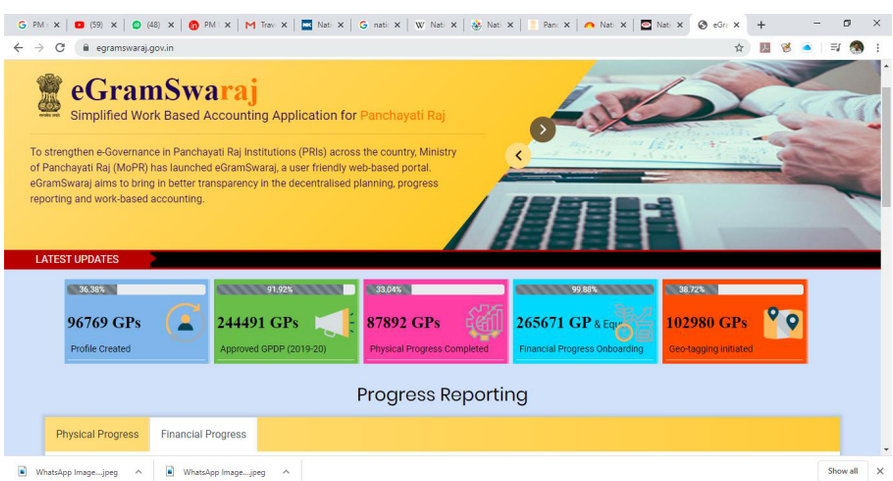

ई-ग्रामस्वाज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in/)

एनआईआरडीपीआर ने मनाई अम्बेडकर जयंती

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर (बाएं) के -प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित करते हुए

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप-महा निदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए (दाएं)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हैदराबाद ने 14 अप्रैल, 2020 को भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी आर अम्बेडकर की 129 वीं जयंती मनाई। डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, संकाय और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने परिसर में डॉ. बी आर अम्बेडकर ब्लॉक में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के प्रतिभा पर पुष्प अर्पित करते हुए समारोह की शुरूआत हुई। उसका अनुसरण करते हुए, श्रीमती राधिका रस्तोगी और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी और श्रीमती राधिका रस्तोगी ने पुस्तकालय भवन के अंदर डॉ. बी आर अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए।

लॉकडाउन के चलते, कार्यक्रम में कुछ लोगों ने भाग लिया, उन्होंने सामाजिक दूरी दिशानिर्देशों का पालन किया और फेस मास्क पहने।

- सीडीसी पहल

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन